एफएम रेडियो समिति की सिफारिशों का कार्यकारी सार

1. लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया

समिति का यह विचार है कि फ्रीक्वेंसी की नीलामी के लिए मुक्त नीलामी बोली प्रक्रिया उपयुक्त नहीं थी और इसी कारण इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। एफएम प्रसारण के उदारीकरण के लिए चरण-। के मामले में अपनायी गई मुक्त नीलामी बोली प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विधिक चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि रेडियो लाइसेंस के लिए निविदा प्रक्रिया को अपनाना निम्नलिखित कारणों से ज्यादा उपयुक्त है :

1. यह सरकार द्वारा अनेक क्षेत्रों में अपनायी गई मानक तथा सरल प्रक्रिया है जिससे पर्याप्त अनुभव हासिल कर लिया गया है। न्यायिक रूप से भी इस प्रक्रिया को बेहतर मान्यता प्रदान की गई है।

2. यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश-स्वीकृत प्रक्रिया है 1[1]।

3. प्रसारण लाइसेंस के लिए यह विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया है। यह आस्ट्रेलिया में स्पैक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी के मामले में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं में से एक है और ब्रिटेन में भी इसे अपनाया जाता है। स्वतंत्र प्रसारण विनियामक से संबंधित यूरोपीय समुदाय की सिफारिश में भी प्रसारण लाइसेंस के लिए निविदा प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।

लाइसेंस प्रक्रिया में निम्नलिखित दौर शामिल होंगे :

क. प्रथम दौर पूर्व-योग्यता दौर होगा और केवल निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट वित्तीय और तकनीकी पात्रता मानदण्डों का अनुपालन करने वाले तथा किसी पात्र

1[1] यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त मानक प्रक्रिया है और सरकारी प्रापण के विश्व व्यापार संगठन के करार; (अनुच्छेद 18 के तहत प्रापण की प्राथमिकता वाली पद्धति निविदा आमंत्रित करना है) माल के प्रापण से संबंधित यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल, प्रापण संबंधी विश्व बैंक दिशानिर्देशों इत्यादि अनेक अंतर्राष्ट्रीय लिखत में इसका उल्लेख किया गया है।

वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा किए गए व्यवहार्यता/संवेदनशीलता अध्ययन के माध्यम से प्रमाणित बोलीदाता ही अगले दौर के लिए योग्य होने चाहिए। इस स्तर पर भाग लेने के लिए प्रतिभूति निविदा दस्तावेज में यथा-विनिर्दिष्ट अग्रिम जमा धनराशि होनी चाहिए। प्रतिभूति की राशि चरण-। निविदा दस्तावेज के अनुरूप होनी चाहिए।

ख. पूर्व-योग्यता स्तर के बाद योग्य आवेदकों की वित्तीय बोली प्रवेश शुल्क को निर्धारित करने के लिए अधिसूचित स्थान और समय पर खोली जानी चाहिए।

बोली लाइसेंस की राशि बिजनेस आयोजना के आधार पर होनी चाहिए इसके लिए प्रतिभूति लाइसेंस शुल्क की उल्लिखित पूरी राशि के संबंध में अपरिवर्तनीय, बिना शर्त और संपुष्ट बैंक प्रतिभूति के रूप में होनी चाहिए। यह बैंक प्रतिभूति आवेदन किए जाने की तारीख से प्रवेश शुल्क के पूर्णतः भुगतान किए जाने की तारीख तक (अर्थात फ्रीक्वेंसी आबंटन की तारीख) की अवधि के लिए होगी।

निविदा प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क स्वाभाविक रूप से प्रत्येक बोलीदाता के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है। प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध फ्रीक्वेंसी की संख्या के बराबर सर्वाधिक बोलीदाता स्वतः फ्रीक्वेंसी के लिए विजयी होंगे (अर्थात् यदि किसी केन्द्र पर सात फ्रीक्वेंसी उपलब्ध हैं तो सात सर्वाधिक बोलीदाताओं को फ्रीक्वेंसी आबंटित की जाएगी)।

बोली घोषित किए जाने पर तत्काल 25 प्रतिशत राशि देय होनी चाहिए और प्रवेश शुल्क की शेष राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही फ्रीक्वेंसी आबंटित की जानी चाहिए।

2. लाइसेंस शुल्क

प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं के लिए एफएम लाइसेंस की चरण-। की नीलामी प्रक्रिया विधि द्वारा निर्धारित किया गया नियत वार्षिक लाइसेंस शुल्क (जिसे प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाता है) अव्यवहार्य साबित हुआ है। इस परिदृश्य में एक-कालिक प्रवेश शुल्क जमा राजस्व हिस्सेदारी मॉडल जैसा कि भारत में सेल्यूलर लाइसेंस (दूरसंचार) के मामले में किया गया है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है।

प्रवेश शुल्क : समिति यह सिफारिश करती है कि प्रवेश शुल्क को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया जो फ्रीक्वेंसी के वास्तविक बाजार मूल्य को प्रदर्शित करेगी, के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

राजस्व हिस्सेदारी : इस तथ्य के मद्देनजर कि बहुत ही कम पूंजी निवेश और राजस्व प्रवाह के कारण रेडियो उद्योग में राजस्व केवल विज्ञापन के रूप में है और इसलिए इसमें राजस्व के अवसर बिजली अथवा तेल जैसे अवसंरचना उद्योग की तुलना में बहुत ही कम है।

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक में संबंधित पक्षकार के लेन-देन के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश बनाए गए हैं।
- स्पैक्ट्रम आबंटन (जैसे आस्ट्रेलिया में) तथा प्रसारण लाइसेंस के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्व हिस्सेदारी मॉडल का उपयोग किया जाता है।

समिति सकल राजस्व की 4 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की सिफारिश करती है 2[2]। यह राजस्व हिस्सेदारी प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि में समिति द्वारा समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन होगी तथा प्रचलित बाजार दशाओं के आधार पर इसमें वृद्धि/कमी की जा सकती है। इस करार के अधीन शामिल किए गए इस परिवर्तन को कानून में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

3. लाइसेंस की अवधि

चरण-। में एफएम प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने की लाइसेंस अवधि दस (10) वर्ष नियत की गई थी और किसी भी आधार पर इसमें वृद्धि करने की अनुमति नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि कम (अर्थात कनाडा में यह अवधि सात (7) वर्ष 3[3], ब्रिटेन में आठ (8) वर्ष है) है। तथापि, अधिकांश देशों में लाइसेंस के नवीकरण की अनुमति प्रदान की गई है जिसे मूल लाइसेंस अवधि के साथ मिलाने का अर्थ यह होगा कि लाइसेंस की अवधि (अर्थात कनाडा में लाइसेंस का अधिकतम सात (7) वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण कराने की अनुमति है 4[4] जबकि ब्रिटेन में लाइसेंस के प्रथम आठ (8) वर्ष पूरे हो जाने के बाद अधिकतम आठ (8) वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीकरण कराने की अनुमति है) 10 वर्ष से अधिक हो जाती है।

2[2] उद्योग के भागीदारों द्वारा सुझायी गई राजस्व हिस्सेदारी प्रतिशतता सकल राजस्व के 2 से 3 प्रतिशत तक है। दूसरी ओर इर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट में सुझायी गई राजस्व प्रतिशतता 3 से 5 प्रतिशत तक है।

3[3] प्रसारण अधिनियम, 1991 की धारा 9(ख)।

4[4] प्रसारण अधिनियम, 1991 की धारा 9(घ)।

समिति यह सिफारिश करती है कि चरण-। की तरह लाइसेंस की अवधि डब्ल्यूपीसी से लाइसेंस को प्रचालित करने की अनुमति प्राप्त करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि लाइसेंस का और पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण कराने की अनुमति लाइसेंसधारी द्वारा संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाए और बशर्ते लाइसेंस अवधि के दौरान कोई कमी न हुई हो। यह मूल्यांकन और लाइसेंस के नवीकरण की सिफारिश यदि विनियामक की व्यवस्था है, तो सरकार के स्वतंत्र विनियामक द्वारा की जाएगी।

4. किसी शहर में बहु-स्तरीय लाइसेंस

चरण-। में लाइसेंसधारियों को एक ही शहर में अनेक फ्रीक्वेंसी रखने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही की प्रवृत्ति इस प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करने की है जैसा कनाडाई वाणिज्यिक रेडियो नीति, 1988 (कह सकते हैं) में किया गया है। भारतीय संदर्भ में बाजार व्यवहार्य न होने के कारण एकाधिकार/अनेकाधिकार की संभावित क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक ही केन्द्र में बहु-स्तरीय लाइसेंस पर प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि :

क. इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी की संख्या जिन्हें कोई कम्पनी किसी विशेष केन्द्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रख सकती है, को 3 तक अथवा उस केन्द्र में

उपलब्ध कुल लाइसेंस के 33 प्रतिशत तक इनमें से जो भी कम हो, सीमित किया जाए।

ख. किसी एक केन्द्र में कोई भी कम्पनी समाचार और समसामयिक मामले के लिए एक से अधिक फ्रीक्वेंसी (लाइसेंस) नहीं रखेगी।

ग. इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के अतिरिक्त लाइसेंस की अनुमति केवल तभी प्रदान की जानी चाहिए जब किसी केन्द्र में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंसी की संख्या (चरण-। की फ्रीक्वेंसी सहित) छः(6) के बराबर अथवा इससे अधिक है।

5. उन फ्रीक्वेंसी की कुल संख्या जिन्हें कोई कम्पनी : एकाधिकार रखने के लिए अपने पास रख सकती है

उन फ्रीक्वेंसी की कुल संख्या जिन्हें कोई कम्पनी प्रत्येक चरण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने पास रख सकती है, उस चरण के दौरान प्रदान की जा रही फ्रीक्वेंसी की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए 5[5]। बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करते समय इस आशय की घोषणा करनी चाहिए कि वह किसी चरण में प्रदान की गई फ्रीक्वेंसी के 25 प्रतिशत से अधिक फ्रीक्वेंसी प्राप्त नहीं करेगा।

यदि किसी आश्वासन के तहत देश में प्रचालित कुल लाइसेंस के 25 प्रतिशत से अधिक लाइसेंस रखे गए हैं तो इस आश्वासन को प्रबल स्थिति में होना कहा जाना चाहिए और इस प्रकार के प्रबल आश्वासन द्वारा प्रभुत्व का दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में सरकार अथवा विनियामक जैसा भी मामला हो, को इन लाइसेंस का निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा आश्वासन देने वालों जो किसी प्रबल आश्वासन देने वाले के साथ किसी भी प्रकार से संबंधित न हो, को विक्रय करने का आदेश देने की शक्ति होनी चाहिए। किसी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सरकार अथवा विनियामक (जैसा भी मामला हो) का अधिकार सुरक्षित रखने की यह शर्त निविदा दस्तावेज का भाग होनी चाहिए ताकि बाद के अवसरों को कम से कम किया जा सके।

किसी एक केन्द्र जिसके लिए बोली आमंत्रित की जा रही है, पर उसी बोलीदाता द्वारा प्रत्येक अलग फ्रीक्वेंसी के लिए विषय-वस्तु आयोजना भिन्न-भिन्न होनी चाहिए ताकि श्रोताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध हो सके।

लाइसेंसधारियों को न तो एक ही केन्द्र में बहु-स्तरीय चैनलों के बीच नेटवर्क बनाने और न ही उसी केन्द्र के लाइसेंसधारी के साथ नेटवर्क बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक लाइसेंस के बारे में अलग से आश्वासन दिया जाना चाहिए तथा लाइसेंसधारियों को अपनी प्रत्येक आबंटित फ्रीक्वेंसी के लिए अलग-अलग लेखे रखने चाहिए। प्रत्येक लाइसेंसधारी को यह प्रयास करना चाहिए कि वह लागू लेखांकन मानकों अथवा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में व्यय को उपयुक्त रूप से अलग-अलग भाग में रखे।

5[5] अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

6. नेटवर्क बनाना

नेटवर्क बनाने अथवा प्रसारण श्रृंखला का अर्थ विभिन्न प्रसारण स्टेशनों (ट्रांसमीटरों) से कार्यक्रमों का साथ-साथ प्रसारण करना है। चरण-। में महत्वपूर्ण अवसरों पर सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना नेटवर्क बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

इस तथ्य के मद्देनजर कि नेटवर्क बनाने से किसी प्रसारण स्टेशन (विशेषकर छोटे शहरों में) के पूंजीगत व्यय और प्रचालन व्यय को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है, हम यह सिफारिश करते हैं कि नेटवर्क बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। हमारा यह विश्वास है कि बाजार तंत्र से श्रोताओं की पसंद को प्रदर्शित करके विषय-वस्तु में विविधता को सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया यह नोट किया जाए कि यह नेटवर्क बनाने की अनुमति केवल एक कम्पनी के प्रसारण स्टेशनों के बीच ही दी जाए न कि लाइसेंसधारियों के बीच।

7. समाचार और समसामयिक मामले

चरण-। के लाइसेंसधारियों को समाचार और समसामयिक मामले को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। समिति यह सिफारिश करती है कि समाचार और समसामयिक मामले पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त किया जाए और समिति यह जोरदार सिफारिश करती है कि आकाशवाणी की आचार संहिता तथा लागू उद्योग संहिता का कड़ाई से

अनुपालन किया जाना चाहिए। इन संहिताओं के किसी पहलू का उल्लंघन करने से तत्काल लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।

8. सह-स्थान निर्धारित करना

इस विशेष संदर्भ में सह-स्थान वह शब्द है जो उन्हीं परिसरों में किसी विशेष शहर के विभिन्न प्रसारणकर्ताओं की प्रसारण व्यवस्था के स्थान को निर्धारित करने और उसी टावर में हिस्सेदारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ही शहर के लिए आबंटित किए गए चैनलों के मध्य कम फ्रीक्वेंसी अलगाव की स्थिति में यह शब्द और महत्वपूर्ण हो जाता है। सह-स्थान के पीछे मुख्य विचार यह है कि सभी चैनलों की कारगर प्रसारण क्षमता (ईआरपी) लगभग एक-समान होगी और क्योंकि वे एक ही शहर में स्थित हैं, इन्हें दूरी के अनुसार कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार सभी चैनलों के मध्य समान संरक्षण बनाए रखा जाएगा।

इस संदर्भ में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं :

(i) चरण-। में महानगरों में सह-स्थान का निर्धारण करना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य फ्रीक्वेंसी को 800 किलोहट्र्ज के बजाय 400 किलोहट्र्ज के अंतराल पर रखकर इनकी उपलब्धता में वृद्धि करना था।

(ii) समिति को प्राप्त हुए अधिकांश अभ्यावेदनों में निम्नलिखित कारणों से सह-स्थान का विरोध किया गया है :

(क) सह-स्थान के उद्देश्यार्थ प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं के लिए संघ बनाना अनिवार्य है।

(ख) क्योंकि प्राइवेट प्रसारणकर्ता एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं इसलिए उनके लिए इस प्रकार का संघ बनाना दुरूह कार्य है।

(ग) यदि कोई प्राइवेट प्रसारणकर्ता इससे अलग होता है तो सामान्य अवसंरचना से संबंधित उसकी लागत हिस्सेदारी को शेष प्रसारणकर्ताओं में से किसी एक को वहन करना होगा।

(घ) प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं को जैसा कि सह-स्थान के मामले में है, स्टूडियो ट्रांसमीटर से संबंधित पर्याप्त लागत वहन करनी होगी, स्टूडियो अवसंरचना अधिकांशतः विभिन्न स्थानों पर होगी।

(ङ) इसमें अनेक अन्य प्रचालन कठिनाइयां भी हैं।

प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त कठिनाईयों के मद्देनजर यह सिफारिश की जाती है कि चरण-।। में सह-स्थान निर्धारण को अनिवार्य न बनाया जाए।

9. आरक्षित प्रवेश शुल्क

चरण-I में सरकार ने लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से केन्द्रों को पांच श्रेणियों (ऐसे शहर जिनमें प्राइवेट बोलीदाताओं को फ्रीक्वेंसी का प्रस्ताव किया गया था) में विभाजित किया है : क+ (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 125 लाख रु., क (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 100 लाख रु.), ख (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 75 लाख रु.), ग (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 50 लाख रु.) और घ (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 20 लाख रु.)। 6[6]

6[6] निविदा दस्तावेज की धारा 1

निम्नलिखित के मद्देनजर :

सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (अर्थात आस्ट्रेलिया में स्पैक्ट्रम आबंटन के मामले में) फ्रीक्वेंसी जैसे संसाधनों की कमी के मामले में आरक्षित मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र है ताकि किसी कमी के कारण बाजार में फ्रीक्वेंसी के मूल्य में सकल गिरावट न आए। चरण-। में भी कुछ बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य के आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए थे क्योंकि कोई अन्य आवेदक नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां किसी फ्रीक्वेंसी विशेष के लिए केवल एक बोलीदाता है यह प्रवृत्ति बिल्कुल आम (कृपया कनाडा और आस्ट्रेलिया से संबंधित नोट, अनुलग्नक-।।। देखिए) है।

तथापि, इस प्रकार के आरक्षित मूल्य का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना नहीं है अपितु इसका उद्देश्य केवल सकल कम मूल्यांकन को रोकना है। आरक्षित मूल्य की गणना वस्तुनिष्ठ रूप से विकल्प और फ्रीक्वेंसी के संभावित उपयोगों के मद्देनजर पहले से ही प्रकाशित मानदंड के आधार पर की जानी चाहिए। इसके तहत सबसे कम संभावित मूल्य को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

समिति यह सिफारिश करती है कि चरण-। के पिछले आरक्षित मूल्य का अनुपालन किया जाए। सरकार इसके बाद के प्रशासनिक क्षेत्रों के संबंध में आरक्षित मूल्य को पुनः निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

10. विदेशी निवेश

समिति रेडियो के लिए सरल विदेशी निवेश प्रशासन क्षेत्र के पक्ष में है। हम यह सिफारिश करते हैं कि लाइसेंस करार में निम्नलिखित अर्थोपाय शुरू किए जाएं :

क. एफएम प्रसारण (समाचार और मनोरंजन चैनल) में 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

ख. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इस 26 प्रतिशत सीमा की गणना करते समय लाइसेंसधारी के भारतीय शेयरहोल्डर कम्पनियों की इक्विटी में विदेशी नियंत्रण घटक, यदि कोई हो, को लाइसेंसधारी में कुल विदेशी नियंत्रण को निर्धारित करने के लिए यथा-अनुपात के आधार पर उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए 7[7]। सबसे बड़े भारतीय शेयरहोल्डर

7[7] संशोधित पात्रता मानदण्ड खण्ड (ख) और (घ) देखिए।

समूह द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी की, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी को छोड़कर, कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए।

ग. लाइसेंसधारी के 75 प्रतिशत निदेशक, लाइसेंसधारी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और/अथवा चैनल के अध्यक्ष तथा चैनल के सभी मुख्य कार्यकारी और सम्पादक कर्मचारी सभी समाचार चैनलों के लिए किसी अन्य कम्पनी से निर्देश प्राप्त किए बिना अथवा उसके प्रत्युत्तर के बिना भारतीय निवासी ही होने चाहिए। सभी मनोरंजन चैनलों के लिए अपवादस्वरूप 'भारतीय मूल के लोग' कार्डधारी/अनिवासी भारतीयों को मुख्य कार्यकारी और सम्पादक कर्मचारी पदों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। किसी प्रकार के समाचार प्रसारित करने वाले चैनलों को यह सुविधा नहीं होगी। लाइसेंसधारी के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह विदेशी हिस्सेदारी नियंत्रण पैटर्न अथवा सबसे बड़े भारतीय शेयर होल्डर की शेयरधारिता और/अथवा मुख्य कार्यकारी/निदेशक मण्डल में कोई परिवर्तन करने से पहले लिखित में मंत्रालय को सूचित करे। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी मंत्रालय को स्वयं द्वारा किसी कार्य में 60 (साठ) दिन की अवधि से अधिक समय के लिए लगाए गए/रोजगार पर रखे गए किसी विदेशी/अनिवासी भारतीय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके साथ-साथ विदेशी पक्षकारों को विषय-वस्तु को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आउटसोर्स करने पर भी रोक होनी चाहिए।

घ. लाइसेंसधारी से यह भी अपेक्षा होगी कि वह ऐसे किसी शेयर होल्डर करार, ऋण करार तथा इस प्रकार के किसी अन्य करार जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है

अथवा इन्हें करने का प्रस्ताव किया गया है, के संबंध में जानकारी प्रदान करे। इस प्रकार के करारों में बाद में कोई परिवर्तन करने की अनुमति केवल मंत्रालय के पूर्व-अनुमोदन से दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी को अनुमत्य विदेशी इक्विटी के अनुपात के बाद सभी समाचार चैनलों के लिए विदेशी कम्पनियों से ऋण प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (अन्य शब्दों में लाइसेंसधारियों के लिए अपनी कुल इक्विटी के 26 प्रतिशत तक समाचार निकाले जाने को विदेशी स्रोतों से ऋण के रूप में माना जा सकता है इससे ज्यादा कुछ नहीं)

ड. एफएम प्रसारण के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में उपर्युक्त परिवर्तनों के मद्देनजर मौजूदा लाइसेंसधारियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने लाइसेंस को चरण-। से चरण-।। के लिए माने जाने की तारीख से अधिकतम दो माह के भीतर अपने संगम ज्ञापन तथा अपने अंतर्नियमों और प्रासंगिक करारों में आवश्यक संशोधन करे।

11. निजी एफएम प्रसारण की फ्रीक्वेंसी की संख्या में वृद्धि

इस संबंध में समिति का यह विचार है कि :

समिति की यह राय है कि कुछ अन्य उपलब्ध फ्रीक्वेंसी का इग्नू द्वारा शैक्षिक प्रसारणों के उद्देश्यार्थ कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। समिति को इस संबंध में जानकारी प्रदान की जाती रही है कि आकाशवाणी पिछले कुछ वर्षों से उच्च गुणवत्ता

वाले संगीत कार्यक्रम जैसे विविध भारती को एमडब्ल्यू से एफएम पर ले जाने की कार्यवाही कर रहा है। इग्नू द्वारा अपने शैक्षिक प्रसारणों के उद्देश्यार्थ आकाशवाणी से इन एमडब्ल्यू ट्रांसमीटरों को उपलब्ध कराने की संभावना पर गंभीर रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से लागत के मुद्दे का समाधान हो जाएगा और इग्नू को भी प्रसारण अवसंरचना निर्माण संबंधी अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इग्नू विवेकसम्मत लागत पर आकाशवाणी की सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। इस व्यवस्था से एफएम प्रसारण का सर्वोत्तम संभव उपयोग होगा।

12. गैर-वाणिज्यिक चैनल

विदेश में जहाँ विभिन्न संगठन कार्यक्रमों का वित्तपोषण करते हैं वहाँ गैर-वाणिज्यिक चैनलों के लिए पीबीएस (अमेरिका में सार्वजनिक प्रसारण सेवा) मॉडल और बीबीसी मॉडल को व्यापक रूप से अपनाया जाता है।

समिति ने इसी प्रकार के मॉडल का प्रस्ताव किया है जिसमें सरकार एफएम प्रसारणकर्ताओं से 4 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करेगी जिसमें से एक प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की अलग से निधि को गैर-वाणिज्यिक चैनलों के विकास के उद्देश्य से (भारत की संस्कृति और विरासत, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों के व्यापक मुद्दों से संबंधित) समर्पित निधि के रूप में निर्धारित किया जाएगा। वे संसाधन जो इस निधि में संचित किए जाएंगे वे सरकार द्वारा देश के विख्यात व्यक्तियों से गठित समिति के निर्देशों के अनुसार गैर-वाणिज्यिक चैनल और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं से प्राप्त किए जाएंगे। इस प्रकार का निधियों का वितरण

सम्मानित समिति द्वारा इस उद्देश्यार्थ बनाए गए पारदर्शी नियमों और विनियमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रसारणकर्ताओं की प्रति वर्ष लेखा परीक्षा की जाएगी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रारंभ में इस प्रकार के गैर-वाणिज्यिक चैनल क+ , क और ख श्रेणी के शहरों में अपेक्षित होंगे और भविष्य में अन्य शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाणिज्यिक चैनलों की संख्या पहले ही सीमित है, यह सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त गैर-वाणिज्यिक चैनलों के लिए यथा-शीघ्र अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी जारी की जाए।

13. राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से निच चैनल

14. विदेश सैटेलाइट प्रसारण

इस समय, भारत सरकार की नीति टीवी चैनलों को अपलिंक करने की है। इस नीति से निम्नलिखित दो मुख्य लाभ प्राप्त हुए हैं :

(क) विदेशी मुद्रा बाहर जाने पर रोक लग गई है क्योंकि अपलिंक विदेश के बजाय भारतीय जमीन से की जाती है।

(ख) सरकार टीवी चैनलों के लिए आचार संहिता लागू करने में सक्षम हो गई है।

देश में रेडियो चैनलों को अपलिंक करने संबंधी नीति के अभाव में पर्याप्त विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और सरकार सैटेलाइट रेडियो चैनलों पर कोई आचरण संहिता लागू करने में सक्षम नहीं है।

उपर्युक्त के मद्देनजर यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को सैटेलाइट रेडियो चैनल को अपलिंक करने तथा डाउनलिंक करने की प्रक्रिया से संबंधित नीति बनानी चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोका जा सके और आचरण संहिता लागू की जा सके।

15. अंतरण

नए प्रशासन क्षेत्र में शामिल करने के उद्देश्य से दिनांक 24 जुलाई, 2003 (जिस दिन इस रेडियो प्रसारण नीति समिति का गठन किया गया है) को वह निर्धारित तारीख माना जाएगा जिससे भागीदारों पर नए प्रशासन क्षेत्र के तहत अधिकार और कर्तव्य लागू होंगे। इस निर्धारित तारीख तक प्राप्त अधिकार और वहन की गई देनदारी पुराने प्रशासन क्षेत्र से अभिशासित होगी।

समिति की यह राय है कि गंभीर नहीं तथा गंभीर लाइसेंसधारियों को निर्धारित करने का मानदण्ड लाइसेंस को प्रचालित करना अथवा इसे प्रचालित करने का कम से कम गंभीर प्रयास तो जरूर करना होना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित नए प्रशासन क्षेत्र में शामिल किए जाने के पात्र होने चाहिए :

क. ऐसे सफल बोलीदाता जिन्होंने लाइसेंस को प्रचालित कर दिया है और निर्धारित तारीख तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है। इस निर्धारित तारीख से भुगतान किए गए सभी शुल्कों को राजस्व हिस्सेदारी की नई पद्धति में समायोजित (किंतु वापस नहीं) किया जाएगा।

क. ऐसे सफल बोलीदाता जिन्होंने लाइसेंस को प्रचालित कर दिया है किंतु बाद में बिजनेस व्यवहार्य न होने के कारण लाइसेंस

शुल्क के भुगतान में दोषी हैं।

i. इन्हें निर्धारित तारीख तक देय मूल लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

ii. मूल लाइसेंस के ऐसे शुल्क जो इस निर्धारित तारीख के बाद देय होता, में किसी दोष को नजरअंदाज कर दिया जाए।

iii. इस भुगतान को एक-कालिक प्रवेश शुल्क माना जाएगा।

ग. सह-स्थान निर्धारित न किए जाने के कारण प्रचालन में विलंब होने के मामले में ऐसे प्रचालकों जो ''प्रचालित माने गए'' के तहत प्रचालन कर रहे हैं, को संशोधित समय-सीमा अर्थात सह-स्थान का निर्धारण करने के लिए 31 दिसम्बर, 2003 तक अथवा दिनांक 31 मार्च, 2004 तक स्वतंत्र सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उपर्युक्त में से कोई एक कार्य पूरा करने पर वे चरण-।। लाइसेंस पद्धति में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। इस प्रचालन की तारीख तक वे पुराने प्रशासन क्षेत्र से अभिशासित किए जाएंगे।

समिति जोरदार शब्दों में यह सिफारिश करती है कि चरण-। में किसी दोष के कारण बोलीदाताओं को काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि चरण-। को गंभीर बाजार परिस्थिति और विनियामक दोष के रूप में माना गया था जिससे

बाजार अव्यवहार्य हो गया था। समिति उन सभी बोलीदाताओं जो अदालत चले गए हैं, से अपने वाद वापस लेने तथा नए चरण-।। प्रशासन क्षेत्र का लाभ उठाने की अपील करती है।

16. आयात शुल्क

इस क्षेत्र में लगभग सभी प्रसारण उपस्कर विदेशी हैं और इनमें से कोई भी देश में निर्मित नहीं है। आर्थिक स्थिति को और व्यवहार्य बनाने के लिए समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रसारण उपस्करों से संबंधित आयात शुल्क को दूरसंचार क्षेत्र की तरह समनुरूप बनाया जाए।

17. आचार संहिता

समिति यह सुझाव देती है कि प्राइवेट प्रसारणकर्ताओं के प्रसारण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें (आकाशवाणी की संहिता के अनुसार) नहीं होनी चाहिए :

- किसी मित्र देश की आलोचना।
- किसी धर्म अथवा समुदाय पर हमला।
- कोई अश्लील अथवा मानहानि संबंधी बात।
- हिंसा को भड़काना अथवा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध कोई कार्य।
- न्यायालय की अवमानना संबंधी कोई बात।

- राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायपालिका के विरुद्ध कोई लांछन।
- किसी राजनीतिक दल पर नाम लेकर हमला।
- किसी राज्य अथवा केन्द्र की शत्रुतापूर्ण आलोचना।
- ऐसी कोई बात जिससे संविधान का अनादर होता हो अथवा हिंसक तरीकों से संविधान में परिवर्तन का समर्थन करना किंतु संवैधानिक तरीकों से परिवर्तन का समर्थन करने से नहीं रोकना चाहिए

आकाशवाणी संहिता और विज्ञापन संहिता को वर्तमान परिदृश्य के अनुसार देखा जाए और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त परिवर्तन किए जा सकते हैं।

18. इग्नू (शैक्षिक प्रसारण) को मीडियम वेव पर अंतरित करना और आकाशवाणी से एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर प्राप्त करना

चरण-। में चालीस शहरों में से प्रत्येक शहर में एक फ्रीक्वेंसी के एफएम प्रसारण के उदारीकरण को इग्नू के शैक्षिक प्रसारण के लिए आरक्षित रखा गया था। तथापि, अभी तक इग्नू केवल 10 एफएम स्टेशनों को ही प्रचालित करने में सक्षम रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण इग्नू इन सभी फ्रीक्वेंसी को प्रचालित करने की स्थिति में नहीं हो सकता। स्पैक्ट्रम की कमी के कारण शैक्षिक प्रसारण के लिए एफएम फ्रीक्वेंसी आबंटित करना उपयुक्त नहीं है।

समिति की यह राय है कि कुछ अन्य उपलब्ध फ्रीक्वेंसी (जैसे मीडियम वेव) का इग्नू अपने शैक्षिक प्रसारण के उद्देश्यों के लिए अधिक कारगर ढंग से उपयोग कर सकता है। समिति को यह बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से आकाशवाणी अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगीत कार्यक्रमों जैसे विविध भारती को एमडब्ल्यू से एफएम पर लाने की कार्यवाही कर रहा है। आकाशवाणी से इन एमडब्ल्यू ट्रांसमीटरों को इग्नू के शैक्षिक प्रसारणों के उद्देश्यार्थ उपयोग करने की संभावना पर गंभीर रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इससे लागतों के मुद्दे का समाधान हो जाएगा क्योंकि इग्नू को प्रसारण अवसंरचना निर्माण से संबंधित भारी व्यय वहन नहीं करना होगा और इग्नू आकाशवाणी की सुविधाओं का उपयोग विवेकसम्मत लागत के आधार पर कर सकता है। इस व्यवस्था से स्पैक्ट्रम का सर्वोत्तम संभावित उपयोग होगा।

19. प्रसारण विनियामक

भारत में रेडियो उद्योग विकास के प्रारंभिक चरण में है। तथापि जैसे-जैसे बाजार का विकास होता है वैसे-वैसे रेडियो के संबंध में अनेक विधिक और सामाजिक मुद्दे (जैसे विषय-वस्तु विनियमन, नेटवर्क विनियमन इत्यादि) और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे (जैसे डिजीटल रेडियो प्रसारण (स्थल आधारित/सैटेलाइट आधारित) रेडियो चैनलों में अंशदान इत्यादि) पैदा होने की संभावना बढ़ती है। बाजार की प्रतिस्पर्धी शक्तियां हमेशा एक-समान रूप से कार्य नहीं कर सकती और कभी-कभी प्रतिस्पर्धी हितों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यों-ज्यों इस उद्योग का विकास होगा त्यों-त्यों एक

स्वायत्त विनियामक के माध्यम से एक उपयुक्त विनियामक माहौल बनाए रखना आवश्यक होगा।

इस संबंध में समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ, 8[8] के मामले में व्यक्त किए गए विचारों और चिंताओं से सहमत है जिसमें यह महसूस किया गया था कि सरकार को प्रसारण चैनलों के उपयोग को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा समाज हित में एक स्वतंत्र स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।

इसलिए समिति एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक के गठन की सिफारिश करती है।

समिति इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना चाहेगी कि इस प्रकार के प्रसारण विनियामक को विनियमन के माध्यम से बाजार शक्तियों को बढ़ावा देने और प्रतिस्थापित करने के बजाय बाजार आधारित विकास की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उपयुक्त विनियामक माहौल तैयार करना चाहिए तथा इसे बनाए रखना चाहिए। प्रसारण विनियामक का मुख्य उद्देश्य नियमों और विनियमों को उपयुक्त रूप से लागू करना होना चाहिए तथा इसके कार्य प्राथमिक रूप से शिकायत आधारित होने चाहिए।

हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह सुझाव देना चाहते हैं कि इस प्रकार के किसी विनियामक की व्यवस्था किए जाने तक (जिसमें संसदीय अनुमोदन की अपेक्षा के कारण समय लग सकता है) एक गैर-सांविधिक समिति गठित की जाए और इसे वही विचारार्थ

विषय सौंपे जाएं जो इस विनियामक को सौंपे जाते। (हम यह समझते हैं कि सेबी का गठन भी इसी प्रकार की समिति के बाद किया गया था)।

20. प्रदान किए गए लाइसेंस को प्रचालित न करने पर दण्ड

समिति जोरदार शब्दों में यह सिफारिश करती है कि कोई लाइसेंस प्रदान करने के बाद लाइसेंसधारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसे प्रचालित करे। यदि कोई लाइसेंस इसे प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रचालित नहीं किया जाता तो सरकार लाइसेंस की शर्त के रूप में इस लाइसेंस को जब्त कर लेगी और जनहित में इसके लिए पुनः निविदा आमंत्रित करेगी।

8[8] (1995) 2 एससीसी 161